राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नीर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर, छत्तीसगढ़

क्र. 1969 मि.सं./रास्वभामिग्रा/पंग्राविवि/2020:: रायपुर, दिनांक 24-06-2020

प्रति,

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विषय :– **जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति की बैठक के संदर्भ में चाहे गए अभिमत के संबंध में।**

संदर्भ :– **आपका पत्र क्रमांक 1535/1072/22–1/2020 अटल नगर, दिनांक 02 जून, 2020।**

विषयांतर्गत आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से प्राप्त नोटशीट दिनांक 22 अप्रेल, 2020 के बिन्दु क्रमांक–1 एवं बिन्दु क्रमांक–02 पर अभिमत सुझाव चाहे गए हैं, जिस पर अभिमत निम्नानुसार है:–

बिन्दु क्रमांक 1. राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा जिला जल स्वच्छता मिशन को प्रशासकीय स्वीकृति का अधिकार प्रदान करने बाबत्।

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जिला जल स्वच्छता मिशन (SWSM) को गांव के अंतर्गत जलप्रदाय योजनाओं के कार्यों का प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार प्रत्यायोजित करने का प्रावधान है। इसके तहत 50 लाख तक के जलप्रदाय योजनाओं के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिया जाना प्रस्तावित है। जिस पर विभागीय प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। जिसके अंतर्गत जिला जल स्वच्छता मिशन द्वारा योजनाओं के प्रशासकीय स्वीकृति किए जाने के पूर्व मंडल स्तर पर अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में गठित वेटिंग समिति द्वारा तकनीकी बिन्दुओं का परीक्षण कर योजनाओं की वेटिंग कर जिला जल स्वच्छता मिशन को अग्रेषित किया जावेगा इस समिति में मण्डल के अधीन समस्त कार्यपालन अभियंता सदस्य होंगे।

भारत सरकार के जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका के पैरा 5.2 में कार्यकारिणी समिति के बिन्दु क्रमांक 8 के अनुसार (पेज क्र. 29)।

अभिमत :– उक्त प्रस्ताव पर विभागीय प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त हो चुका है अतः प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की जा सकती है।

Scanned with CamScanner

बिन्दु क्रमांक 2. केन्द्रीयकृत टेण्डर (Centralization tender) के माध्यम से दर प्राप्त करने का अनुमोदन बाबत्।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के प्रावधान के अनुसार कार्यों के टाईप, डिजाईन, आयटम, रेट आमंत्रित करने हेतु प्रस्ताव, दर अनुबंध (Rate contract) हेतु रूचि की अभिव्यति, केन्द्रीयकृत निविदा के माध्यम से निर्माण एजेंसियों का पंजीयन इत्यादि कार्यों के सम्पादन हेतु समिति का गठन हेतु विभागीय प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

उक्त समिति के पेयजल योजनाओं से संबंधित कार्यों की संपूर्ण रूपरेखा एवं प्रस्ताव पर अधीक्षण अभियंताओं द्वारा मंडल स्तर पर विभिन्न कार्यों के दर–अनुबंध (Rate contract) तैयार किए जावेंगे।

अभिमत :– उक्त समिति के गठन पर विभागीय प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त हो चुका है अतः प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की जा सकती है।

(धर्मेश कुमार साहू)
मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

Scanned with CamScanner